बिहार सरकार
निर्वाचन विभाग
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार का कार्यालय
7, सरदार पटेल मार्ग (मैंगल्स रोड), बिहार, पटना – 800015

दूरभाष सं०:– 0612 2217956
फैक्स:– 0612-2215611 / 2215978
ई–मेल:– ceo_bihar@eci.gov.in

Press Release

दिनांक :– 11.09.2015

1. बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2015 को निष्पक्ष एवं स्वतंत्र रूप से संपन्न कराने हेतु भारत निर्वाचन आयोग एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार के कार्यालय से दिये गये निदेश के आलोक में पूरे राज्य में अवैध देशी/विदेशी शराब के विरूद्व, छापामारी अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत आज कुल 16,161 लीटर अवैध शराब, 150 किलोग्राम गांजा एवं 100 ग्राम सोना तथा 500 ग्राम चाँदी जप्त किया गया।

2. निर्वाचन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण न्यूज आम जनों/मीडिया कर्मी को त्वरित रूप से उपलब्ध कराने हेतु आज एन्ड्रॉयड बेस्ड एप्लीकेशन जारी किया गया। इसे NIC द्वारा विकसित किया गया है तथा इसके माध्यम से मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अथवा जिला निर्वाचन पदाधिकारियों के स्तर से किसी भी समय निर्वाचन संबंधी न्यूज जारी किया जा सकता है। इस एप्लिकेशन को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार के वेबसाईट पर दिये गये लिंक से डाउनलोड किया जा सकता है।

3. आदर्श आचार संहिता के Enforcement के द्वारा आज निम्नलिखित मामले दर्ज हुए :–

Defacement in Public Property (Wall Writing, Posters, Banners, Others)	116
Defacement in Private Property (Wall Writing, Posters, Banners, Others)	40
Misuse of Vehicle (Beacon, light, Flag)	7
Illegal Meeting/Speech etc.	1

4. Law & Order के तहत निम्नलिखित मामले आज सामने आए :–

No. of Arms/Weapons seized	10
No. of cartridges seized	15
No. of illegal arms manufacturing centres raided and seizures made	9
No. of Licensed Arms verified	373
No. of Licensed Arms deposited	182

No. of Licensed Arms Cancelled	132
No. of non-bailable warrants executed	661
Fine collected in vehicle checking	Rs. 10,53,757

5. निर्वाचन विभाग के सभागार में आज बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2015 के सफल संचालन एवं क्रियान्वयन हेतु राज्य स्तर पर समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, भागलपुर एवं शेखपुरा जिले के सभी निर्वाची पदाधिकारी तथा प्रत्येक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के एक सहायक निर्वाची पदाधिकारी के लिए प्रशिक्षण--सह--कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस प्रशिक्षण में नामांकन तथा स्क्रूटनी की प्रक्रिया, नामांकन के लिए योग्यता, अयोग्य किये जाने के बिन्दु, नाम वापसी, चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की अंतिम सूची तैयार करना तथा अभ्यर्थियों को प्रतीक चिन्ह आवंटित किये जाने की प्रक्रिया तथा इससे संबंधित भारत निर्वाचन आयोग के दिशा--निदेशों की जानकारी प्रदान की गयी। सभी विषयों पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उपलब्ध कराये गये वीडियो फिल्म दिखाया गया तथा उनके सभी प्रश्नों का समाधान किया गया।

****